

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

रामेश कुमार शर्मा बनाम लीलाधर आदि

दावा बाबत :- 88 R.A.C.T

मुकदमा नम्बर :- 275/2021

निर्णय दिनांक :- 11-11-2021

वादी की ओर से वकील मुंशी राम गोस्वामी की व प्रतिवादी सं0.1, 2, 3 की ओर से वकील सरफात निजारी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

शेडी चक 8852 के खाता सं- 160/49 के मु. नं. 89 के किला नं. 21 मु. नं. 90 किला नं. 23 ता 25, मु. नं. 95 किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 मु. नं. 96 किला नं. 1, 10, 11, 20 कुल 5-819 ई. नदरी 5-7500 ई. के मु. रास्ता 0-0390 ई. में प्रतिवादी सं. 1 लीलाधर के नाम 1/2 हिस्सा व शेडी चक 10552 के खाता सं- 178/60 के मु. नं. 87 किला नं. 21, मु. नं. 90 किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23, मु. नं. 119 किला नं. 6, 13 ता 18, 23 ता 25 मु. नं. 120 किला नं. 1 ता 3, 8 ता 25 कुल 11-891 ई. वारसी 11-827 ई. के मु. रास्ता 0-0640 ई. खातेदारी में प्रतिवादी सं. 1 लीलाधर के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है में से प्रतिवादी सं. 1 लीलाधर का नाम अलभपूत्र लिया जाकर वादी रमेश कुमार शर्मा व प्रतिवादी सं. 2 नरेश कुमार शर्मा का वहिस्सा बराबर के खातेदार का बतकार घोषित किया जायेगा। प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 5 ने अपना समूह हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में त्थाग कर ग्रहण कर लिया है इस लिए व्याज निधि जमे हिस्से पर पंजीपत्र शुल्क असा करने व यदि छवि मुद्रि के क के रहने दो तो खर्च के होने के उपरान्त ही राजस्व रिवाउ में खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

अबल वरायत विभागाधीन गंगा डिक्री का आज पढा जायेगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
 (सिविल प्रशासिका)
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
 भादरा, जि. सो. हनुमानगढ़
 2-11-2021